कार्यालयः प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गाजियाबाद।

प्रशासनिक आदेश संख्या--43--/2021

(दिनांक-22.06.2021)

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या-1969/LXXXVII-CPC/e-court Allahabad Dated 21.06.2021 के अनुपालन में दिनांक-23.06.2021 से परिवार न्यायालय, गाजियाबाद के सभी न्यायालयों में उक्त वर्णित पत्र में दिये गये निर्देशों के अधीन न्यायिक कार्य सम्पादित किये जाने हेतु न्यायालयों को खोले जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

परिवार न्यायालयों के सभी पीठासीन अधिकारीगण आवश्यक प्रकृति वाले वादों को (बयान अभिलेखन को छोडकर) प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करना सुनिश्चित करेगें।

अति आवश्यक वादों के निस्तारण में आवश्यक गवाहों के बयान अधोहस्ताक्षरी की पूर्व अनुमति के पश्चात ही दर्ज किये जा सकेगें।

नये वाद/प्रार्थना-पत्र केन्द्रीयकृत कम्प्यूटर कक्ष में प्राप्त किये जायेगें। प्रार्थना-पत्रों पर विद्वान अधिवक्ता का पूर्ण विवरण मय मोबाईल नम्बर अंकित होगा, जिससे कोई कमी होने पर सम्बन्धित अधिवक्ता को सूचित किया जा सके।

सभी न्यायालय कक्षो में चार कुर्सियॉ पर्याप्त दूरी पर इस प्रकार से रखी जाए जिससे कि कोविड-19 के नियमानुसार उचित सामाजिक दूरी कायम रखी जा सके। न्यायालय कक्ष में सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करना होगा तथा न्यायालय कक्ष के मुख्य गेट पर सेनीटाइजर का प्रबन्ध किया जायेगा। न्यायालय के रीडर व लिपिक आदि कर्मचारीगण भी सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का पालन करेगें।

न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी पक्षकार/विद्वान अधिवक्तागण की एक समय में न्यायालय कक्षो में कम से कम उपस्थित के लिए समुचित व्यवस्था करना सुनिश्चित करेगें, जिससे सामाजिक दूरी का पालन किया जा सके।

समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश शासन व केन्द्रीय सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करेगें।

पक्षकारों द्वारा लिखित बहस केन्द्रीयकृत कम्प्यूटर कक्ष/जूडिशियल सर्विस सेंटर पर दाखिल की जा सकेगी, जिन्हे कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा सम्बन्धित न्यायालयों को प्रेषित कर दिया जायेगा।

केवल वही अधिवक्ता न्यायालय परिसर में प्रवेश करेगें, जिनका वाद दिनांक विशेष पर नियत होगा।

वादी एवं उनके प्रतिनिधि का न्यायालय परिसर में प्रवेश पूर्णतः निषेध रहेगा।

अतः दिनांक-23.06.2021 से परिवार न्यायालय, गाजियाबाद के सभी न्यायालय व कार्यालय खोले जायेगें, इसलिए परिवार न्यायालय में कार्यरत सभी न्यायिक अधिकारीगण व तृतीय एवं

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण अपने-अपने न्यायालय व कार्यालय में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अपना-अपना कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करेगें एवं कार्य समाप्त होने के उपरांत न्यायालय परिसर को छोड देगें।

प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, गाजियाबाद एवं केन्द्रीय नाजिर जनपद न्यायालय, गाजियाबाद, परिवार न्यायालयों के खुलने से पूर्व न्यायालय परिसर का सेनिटाईजेशन एवं न्यायालय के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था कर, प्रतिदिन अधोहस्ताक्षरी को रिपोर्ट देना सुनिश्चित करेगें।

राज्य सरकार के दिशा-निर्देश संख्या-1052/2021-सीएक्स-3 गृह(गोपन) अनुभाग-3 दिनांकित-19.06.2021 के पैरा-18 के अनुसार उपरोक्त दिशा-निर्देश केवल उन्हीं जिलो पर लागू होगी, जिनमें कोविड-19 के एक्टिव केसों की संख्या 500 से कम है, कोविड-19 के एक्टिव केसों की संख्या 500 से अधिक होने पर न्यायालय के संचालन हेतु पूर्व में प्राप्त दिशा-निर्देश लागू होगें।

सभी सम्बन्धित सूचित हो।

अनिता राज
22/06/2021.
(अनिता राज)
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
गाजियाबाद।

प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय
गाजियाबाद